राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या............1718 / 2016............................. जिला ....झुन्झुनूं...

उनवान : मैसर्स सर्राफ एण्ड गाडिया ब्रदर्स, झुन्झुनूं

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, जयपुर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, झुन्झुनूं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28 / 09 / 2016	एकलपीठ श्री मनोहर पुरी, सदस्य अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या 33 / 2016–17 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 12.07.2016 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत–झुंझुनूं (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के किये गये सर्वेक्षण दिनांक 07.10.2014 के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 25, 61, 75(8) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 02.05.2010 से सृजित मांग राशि रूपये 2,92,242 / – में से रूपये 2,63,015 / – के स्थगन हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर, अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि **रूपये 2,63,015 / –** के स्थगन हेतु निवेदन किया है। अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा एवं प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री डी. पी. ओझा की बहस सुनी गयी। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने एवं कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश के अवलोकन के पश्चात, **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरण में अवशेष बकाया शेष राशि **रूपये 2,63,015 / –** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	